● Publishing Date : October 31, 2018 ● Total Number of Pages : Twenty
● Posting at Lucknow on 5th, 6th, 7th and 8th of every month
RNI Regn. No. : UPHIN/2004/13685

पत्रिका
कोल्ड स्टोरेज एसोसिएशन उत्तर प्रदेश
(रजिस्ट्रीकरण प्रमाण पत्र संख्या : 819/1987–88)
वाटर वर्क्स रोड, ऐशबाग, लखनऊ – 226 004
फोन : 0522–2242486 मोबाइल : 9415418566, 9335019355 फैक्स : 0522–2242486
E-mail : coldstorage@fcaoi.org Website : http://www.fcaoi.org
श्री जी.एस. धीरानी, सेक्रेट्री जनरल : 9839013400, 9335519355

मूल्य : 1/– रु0 31 अक्टूबर, 2018 मासिक पत्रिका : अध्यक्ष : श्री महेन्द्र स्वरूप, ऐशबाग, लखनऊ। सचिव : श्री अरविन्द अग्रवाल वर्ष : 15, अंक : 5

संगठन ही शक्ति है

बन्धुवर,

हमें पूर्ण आशा है कि आप सब ने दशहरा और दीपावली के त्यौहार बहुत ही हर्ष उलास से मनाये होंगे। आप सबको बहुत–बहुत शुभकामनाएँ। भगवान करे आपका जीवन खुशियों से भरा रहे और धन–धान्य की दिन रात बढ़ोत्तरी होती रहे।

हमारी पत्रिका आप तक पहुँचते पहुँचते दीपावली का पावन त्यौहार समाप्त हो चुका होगा और आप सब छुट्टियाँ मनाकर अपने शीतगृह के कार्य में पुनः व्यस्त हो चुके होंगे।

शीतगृह उद्योग के लिए यह वर्ष बड़ा उठा–पटक का रहा। वैसे तो अभी भी शीतगृहों में आलू बच रहा होगा, जो कि 30 नवम्बर तक पूरी तरह निकल पायेगा। वैसे भी, 30 नवम्बर तक शीतगृह चलाने के लिए एक सरकारी आदेश द्वारा शीतगृह बाध्य है, यह बात और है कि वह नवम्बर माह का अधिक प्रभार ले सकते है।

हमारी सलाह है कि आप 30 नवम्बर तक अपने भण्डारित आलू को अवश्य शीतगृह कक्षों से बाहर निकाल दें, और दिसम्बर माह में शीतगृह ना चलाए। अगले वर्ष के भण्डारण के लिए, रख, रखाव व →

मरम्मत के कार्य के लिए आपको कम से कम दो से तीन महीने की आवश्यकता होती है। यदि आप दिसम्बर माह में भी शीतगृह चलाते रहे तो आपको रख–रखाव के लिए पूरा समय नही मिल पायेगा और आपको अगले वर्ष भण्डारण के बाद समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है।

इस वर्ष आलू के भाव कुछ इस तरह रहे कि किसान भण्डारणकर्ताओं को अच्छा लाभ हुआ। जहाँ तक प्रभार सम्बन्धी समस्याओं का प्रश्न उठता है, शीतगृहस्वामियों को भी विशेष समस्या नहीं आई होगी। उन्हें अपना भाड़ा मिलने में कोई परेशानी नहीं हुई होगी। परन्तु व्यापारियों को, जिन्होंने खरीद के माल रखा है, हानि का सामना ही करना पड़ा है। देर तक वर्षा होने के कारण, हरी सब्जियों पर असर पड़ा, आलू की माँग बनी रही, आगे आने वाली आलू की फसल की बुआई भी देर से हुई जिस कारण स्टोर के आलू की बिक्री को लम्बा समय मिल गया और भण्डारित आलू ठीक तरह से निकल जाने के मार्ग पर बना रहा, अन्यथा एक समय तो ऐसा आ गया था कि शीतगृहस्वामी यह सोचने लगे थे कि इस वर्ष तो आलू नहीं निकल पायेगा और फेकना पड़ेगा।

इस वर्ष बीज आलू, जिसमें गुल्ला व छरी शामिल होते हैं दोंनो ही बिकते रहे और आशा की जा रही है कि गत वर्ष की अपेक्षा इस वर्ष आलू की बुआई अधिक होगी। आलू का उत्पादन बढ़ेगा और वर्ष 2018 की तरह वर्ष 2019 में शीतगृह खाली नही रह जायेंगे।

लाईसेन्स नवीनीकरण के सम्बन्ध में :–

इस सम्बन्ध में हमने दिनांक 25.10.2018 को अपने सब सदस्यों को ई मेल द्वारा यह पत्र भेजा है जिसमें मुख्य रूप से निदेशक, उद्यान का पत्र है जिसमें उन्होंने निर्देशित किया है कि शीतगृह लाईसेन्स नवीनीकरण के सम्बन्ध में वर्ष 2002 में जो सरकारी निर्देश जारी किए गए थे उनका पालन किया जाए और उसी आदेश के आधार पर लाईसेन्स नवीनीकरण प्रक्रिया की जाए। हम 2002 का आदेश पत्र यहाँ प्रकाशित कर रहे है, जिससे की वह सदस्य जो समय से लाईसेन्स फीस जमा कराना भूल गए हो या अभी भी जिनसे ज्यादा प्रमाण पत्र माँगे जा रहे हो इसका लाभ उठा सकें।

418 / सी.एस.ए.27 / 88 / 2018 दिनांक 25.10.2018

समस्त सदस्य कोल्ड स्टोरेज एसोसिएशन उत्तर प्रदेश

बन्धुवर,

विषय : लाइसेन्स नवीनीकरण के सम्बन्ध में

लाइसेन्स नवीनीकरण के सम्बन्ध में हमने कई आपत्तियाँ उठाई थी। उन आपत्तियों पर विचार करने के लिए सरकार ने एक समिति का गठन किया। उस समिति का निर्णय आने में अभी देर है। तब तक →

लाइसेन्स नवीनीकरण की प्रक्रिया न रूके, इस सम्बन्ध में निदेशालय उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण, उ.प्र. ने दिशा निर्देश जारी किए है जो हम यहाँ प्रस्तुत कर रहे हैं।

अतः वर्ष 2018–19 के लिए पुराने आदेश जो कि वर्ष 2002 में जारी किए गए थे ही लागू माने जायेंगे और उन ही के अनुसार आप सबको लाइसेन्स नवीनीकरण की एप्लीकेशन (Application) देनी है।

ध्यान दे, कि चार वर्ष की लाइसेन्स फीस जमा करने पर लाइसेन्स पाँच साल के लिए नवीनीकृत किया जा सकता है।

हम यहाँ पर वर्ष 2002 में जारी किया शासनादेश भी प्रस्तुत कर रहे है जिसके अनुसार आपकी एप्लीकेशन (Application) जानी है।

सधन्यवाद,

कृते कोल्ड स्टोरेज एसोसिएशन उत्तर प्रदेश

(महेन्द्र स्वरूप)

अध्यक्ष

संलग्नक :

1. पत्रांक–आलू 1126–30/आलू बीज आबंटन/2018–19/दिनांक 24 अक्टूबर, 2018
2. संख्या–625/58–1–2002–100 (3)/2002 दिनांक 17 अप्रैल, 2002

निदेशालय उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण, उ.प्र.

2, सप्रू मार्ग, लखनऊ

पत्रांक : आलू 1126–30/आलू बीज आवंटन/2018–19 दिनांक 24 अक्टूबर, 2018

1. समस्त जिला उद्यान अधिकारी, उत्तर प्रदेश।
2. समस्त आलू एवं शाकभाजी विकास अधिकारी, उत्तर प्रदेश।
3. समस्त अधीक्षक, राजकीय उद्यान, उत्तर प्रदेश।

विषय : वर्ष 2019 के लिए निजी शीतगृहों के नवीनीकरण के सम्बन्ध में

उपर्युक्त विषयक अवगत कराना है कि शासनादेश संख्या–625/58–1–2002–100(3)/2002, दिनांक 17–04–2002 द्वारा शीतगृहों के लाइसेन्स नवीनीकरण के मार्ग निर्देश जारी किये गये हैं, जिसे निदेशालय के पत्र संख्या–आलू–196/शीतगृह नवीनीकरण/2002–03, दिनांक 23–04–2002 के →

साथ संलग्न कर आपको प्रेषित किया गया है। उक्त शासनादेश के अनुसार लाइसेन्स नवीनीकरण प्रस्तावों को शासनादेश संख्या–3532/58–1–98–100(28)/98, दिनांक 16–10–98 में दी गयी समयावधि में अपेक्षित कार्यवाही किया जाना आवश्यक है। अतएव उत्तर प्रदेश शीतगृह विनियमन (लाइसेंस देना) नियमावली–1976 की धारा–12 के अन्तर्गत लाइसेन्स नवीनीकरण के लिए आवेदन–पत्र, उस वर्ष के जिसके लिए लाइसेन्स का नवीनीकरण किया जाना अपेक्षित हो, पिछले वर्ष की अधिक से अधिक 31 अक्टूबर तक (जब तक कि राज्य सरकार द्वारा दिनांक बढ़ाया न जाय) लाइसेन्स अधिकारी के पास विहित प्रपत्रों सहित पहुँच जाय यदि धारा–6 के अधीन लाइसेन्स 31 अक्टूबर को या उसके पश्चात् दिया जाय वहाँ अगले कलैण्डर वर्ष के लिए लाइसेन्स के लिए आवेदन–पत्र उस वर्ष के जिसके लिए लाइसेन्स का नवीनीकरण करना अपेक्षित है पूर्ववर्ती वर्ष के अधिक से अधिक 31 दिसम्बर तक दिया जा सकता है तथा धारा–13 के अन्तर्गत (31 दिसम्बर के पश्चात् नहीं) लाइसेंस के नवीनीकरण के लिए प्रस्तुत आवेदन–पत्र विहित नवीनीकरण फीस और विलम्ब फीस जो उस लाइसेन्स के नवीनीकरण के लिए विहित फीस की राशि के आधे के बराबर हो, देने पर लाइसेन्स अधिकारी द्वारा विचार करने हेतु पहुँच जाना चाहिए। राज्य सरकार धारा–12 के उपनियम–(1) के अधीन आवदेन–पत्र प्रस्तुत करने के लिए अन्तिम दिनांक को बढ़ा सकती है। शीतगृहों के लाइसेन्स नवीनीकरण हेतु प्रस्ताव उत्तर प्रदेश शीतगृह विनियमन (लाइसेन्स देना) नियमावली–1976 में निर्दिष्ट प्रपत्रों में ही प्रस्ताव प्राप्त किये जाने आवश्यक है।

अतः निर्देशित किया जाता है कृपया वर्ष 2019 के लिए नवीनीकरण हेतु विहित फीस के लिए कोषागार में जमा किये जाने वाले हस्ताक्षरित चालान निर्धारित अवधि में कोषागार में जमा कराते हुए नवीनीकरण की कार्यवाही समय से सुनिश्चित करायें।

(राघवेन्द्र प्रताप सिंह)
निदेशक

पृष्ठांकन सं. 1126–30 तद्दिनांक।

प्रतिलिपि : निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. समस्त उप निदेशक उद्यान, उत्तर प्रदेश।
2. समस्त जिलाधिकारी/लाइसेन्सिंग अधिकारी (शीतगृह), उत्तर प्रदेश

(राघवेन्द्र प्रताप सिंह)
निदेशक

→

संख्या–625 / 58–1–2002–100(3) / 2002

प्रेषक,

श्री जी.डी. त्रिपाठी,
विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

निदेशक
उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग,
उत्तर प्रदेश शासन।

उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण अनु.–1 लखनऊ : दिनांक 17 अप्रैल, 2002

विषय : कोल्ड स्टोरेज लाइसेन्स नवीनीकरण के सम्बन्ध में मार्ग निर्देशिका

महोदय,

1. कृपया उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या–226 / जी / शीतगृह विविध–11 दिनांक 14–3–2002 को संदर्भ लेने का कष्ट करें।

2. मुझे यह कहने का निर्देश हुआ है कि कोल्ड स्टोरेज लाइसेन्स स्वीकृत या नवीनीकरण के समय निम्नलिखित बिन्दुओं को ध्यान में रखते हुए ही लाइसेन्सधारी से सूचना माँगी जाय :–

1. आवेदन–पत्र नियमावली में दिये गये प्रपत्र पर साफ–साफ भरा हो तथा उक्त प्रपत्र में उल्लिखित सभी सूचनायें स्पष्ट रूप से अंकित की जाये।
2. लाइसेन्स शुल्क / नवीनीकरण शुक्ल कोषागार में जमा किये जाने की मूल प्रति आवेदन पत्र के साथ संलग्न की जाय।
3. भवन सुदृढ़ता प्रमाण–पत्र के लिए कम से कम, किसी डिग्री धारक सिविल अभियन्ता से, जो कि सक्षम संस्था से पंजीकृत हो, की निरीक्षण रिपोर्ट।
4. मशीनरी सुदृढ़ता एवं कार्यशीलता तथा अवशीतन क्षमता का प्रमाण–पत्र जो कम से कम किसी ऐसे डिग्रीधारक मैकेनिकल / रेफ्रीजेशन अभियन्ता से, जो समक्ष संस्था से पंजीकृत हो, की निरीक्षण रिपोर्ट।
5. शीतगृह के भवन की मशीनरी का आग, ब्रेकडाउन (चाहे यान्त्रिक एवं अन्य प्रकार का हो) या किसी प्रकार से होने वाली क्षति के लिए हो, के लिए गत वर्ष कराई गई बीमा पालिसी कवर नोट की सत्यापित प्रति। →

6. शीतगृह संचालन के लिए आवश्यक विद्युत लोड स्वीकृत हो तथा वैकल्पिक व्यवस्था हेतु जनरेटर की उपलब्धता हो। इस प्रयोजन हेतु लाइसेन्सधारी द्वारा दिया गया प्रमाण–पत्र पर्याप्त माना जाए।
7. शीतगृह की क्षमता के अनुसार शीतगृह पर अग्निशमन सुविधा/उपकरणों की उपलब्धता के सम्बन्ध में प्रमाण–पत्र।
8. यदि शीतगृह पिछले वर्ष भण्डारित आलू में कोई क्षति हुई हो तो उसके सम्बन्ध में सूचना।
9. यदि शीतगृह पार्टनरशिप में चलाया जा रहा हो तो पार्टनरशिप के लिए पावर ऑफ अटार्नी द्वारा ही लाइसेन्स नवीनीकरण, प्रार्थना–पत्र हस्ताक्षरित हो तथा यदि लिमिटेड कम्पनी के अन्तर्गत चलाया जा रहा हो तो सक्षम मैनेजिंग डायरेक्टर द्वारा हस्ताक्षरित आवेदन–पत्र साथ ही इस आशय की भी अण्डरटेकिंग दी जाय कि प्रबन्ध व्यवस्था में आवेदन की तिथि तक कोई परिवर्तन नहीं हुआ है।

यह भी निर्देशित किया जाता है कि शासनादेश संख्या–3532/58–1–98–100(28)/98 दिनांक 16 अक्टूबर 1998 में दी गयी समयावधि अनुसार नये कोल्ड स्टोरेज निर्माण की प्रक्रिया तथा नये कोल्ड स्टोरेज लाइसेन्स के प्रकरणी का निस्तारण सुनिश्चित किया जाय।

कृपया तदनुसार कार्यवाही कराया जाना सुनिश्चित करने का कष्ट करें।

भवदीय

ह0/–

(जी.डी. त्रिपाठी)

विशेष सचिव

निदेशालय उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण, उ.प्र.

2, सप्रू मार्ग, लखनऊ

पत्रांक : आलू 196/शीतगृह नवीनीकरण/2002–03 दिनांक 23 अप्रैल, 2002

प्रतिलिपि : निम्न को इस आशय से कि शासन के उपर्युक्त निर्देशों के क्रम में निजी शीतगृहों के लाइसेन्स नवीनीकरण की कार्यवाही सम्पन्नित की जाय :–

1. समस्त जिला उद्यान अधिकारी, उ.प्र.।
2. समस्त अधीक्षक राजकीय उद्यान, उ.प्र.।
3. समस्त आलू एवं शाकभाजी विकास अधिकारी, उ.प्र.।
4. समस्त उप निदेशक, उद्यान उ.प्र.।
5. समस्त जिलाधिकारी, उ.प्र.।
6. संयुक्त निदेशक औद्यानिक प्रयोग एवं प्रशिक्षण केन्द्र बस्ती/सहारनपुर।

→

7. सचिव उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण उ.प्र. शासन लखनऊ।
8. अध्यक्ष शीतगृह एसोसिएशन उ.प्र. स्वरूप कैमिकल्स वाटरवर्क्स रोड, लखनऊ

(एम.एम. सिन्हा)
निदेशक

लाईसेन्स नवनीकरण की प्रकिया को सरल बनाने के लिए सरकार ने एक समिति का गठन किया है। उसकी स्तुति जब आयेगी हम प्रकाशित करेंगे। इसी बीच में हम इस समिति की कार्यवाही का विवरण यहाँ दे रहे है जो कि एक पत्र द्वारा हमें निदेशक उद्यान से प्राप्त हुए है।

उत्तर प्रदेश शासन

उद्यान अनुभाग

संख्या : 2411/58–2018–70/2017 लखनऊ : दिनांक 25 सितम्बर, 2018

कार्यालय ज्ञाप

उ.प्र. कोल्ड स्टोरेज विनियमन अधिनियम, 1976 के अन्तर्गत प्रदेश में संचालित निजी शीतगृहों के लाइसेन्स नवीनीकरण की प्रक्रिया को सुगम/सरल बनाये जाने की दृष्टि से निम्नवत् समिति गठिन की जाती है :–

1. विशेष सचिव, उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग, उ.प्र. शासन अध्यक्ष
2. निदेशक, उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग, उ.प्र. लखनऊ सदस्य
3. जिलाधिकारी, आगरा एवं फर्रूखाबाद द्वारा नामित प्रतिनिध सदस्य
4. अध्यक्ष, उ.प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा नामित प्रतिनिधि सदस्य
5. मुख्य अग्निशमन अधिकारी, लखनऊ सदस्य
6. अध्यक्ष, उ.प्र. पावर कार्पोरेशन लि., उ.प्र. द्वारा नामित प्रतिनिधि सदस्य
7. अध्यक्ष, उ.प्र. कोल्ड स्टोरेज एसोसिएशन द्वारा नामित प्रतिनिधि सदस्य
8. उप निदेशक उद्यान, आगरा मण्डल, आगरा सदस्य
9. आलू उत्पादक संघ द्वारा नामित 02 प्रतिनिधि सदस्य
10. उप निदेशक (आलू), निदेशालय उद्यान, लखनऊ सदस्य सचिव

उक्त समिति शीतगृह अधिनियम का परीक्षण कर नवीनीकरण प्रक्रिया के लिए आवश्यक अभिलेख एवं प्राधिकृत नवीनीकरण अधिकारी को नामित किये जाने के लिए अपने सुझाव 02 माह में प्रस्तुत करेगी।

इन्दुबाला कटियार
उप सचिव।

→

प्रेषक,

निदेशक,
उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण
2, सप्रू मार्ग, लखनऊ

सेवा में,

उप सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन (उद्यान अनुभाग)
उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग,
सचिवालय, लखनऊ

पत्रांक : आलू/को.एसो. पत्रावली) दिनांक : 27 सितम्बर, 2018

<u>विषय : उ.प्र. के शीतगृह लाइसेन्स नवीनीकरण के सम्बन्ध में</u>

महोदय,

कृपया कोल्ड स्टोरेज एसोसिएशन, उ.प्र. वाटर वर्क्स रोड, ऐशबाग, लखनऊ के पत्र संख्या : 418/सी.एस.ए. 27/54/2018 दिनांक 23 जुलाई, 2018 एवं पत्र संख्या : 418/सी.एस.ए. 27/75/2018 दिनांक : 13 सितम्बर, 2018 जो माननीय मंत्री जी, वन, पर्यावरण, प्राणी उद्यान व उद्यान खाद्य प्रसंस्करण सचिवालय, लखनऊ एवं निदेशालय उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण, उ.प्र. को सम्बोधित है, के द्वारा शीतगृहों की कुछ समस्याओं के सम्मुख रखते हुए उनका शीघ्र निवारण किये जाने की आशा व्यक्त की गयी है, जिनका उल्लेख निम्नवत् किया जा रहा है।

क्र.सं.	समस्या के बिन्दु	उत्तर
1	हमारा अनुरोध है कि शीतगृह की लाइसेन्स नवीनीकरण की प्रक्रिया को समाप्त किया जाए। शीतगृह ऐसे उद्योग नहीं है जिन पर इतनी सख्ती बरतनी की आवश्यकता हो। हम केवल ठण्डे गोदाम है जहाँ भाड़े पर खाद्य पदार्थों का भण्डारण किया जाता है अतः प्रथम बार ही सारी प्रक्रियाएँ पूरी करके लाइसेन्स देना उचित है परन्तु उसका नवीनीकरण बार–बार कराना उचित नहीं है। हम किसी भी प्रकार का कोई उत्पादन नहीं करते। लाइसेन्स के नवीनीकरण में भी हम से इतने बिन्दुओं पर पूछताछ और प्रमाण–पत्र माँगे जाते	उत्तर प्रदेश कोल्ड स्टोरेज विनियमन (लाइसेन्स देना) नियमावली, 1976 के प्रस्तर–8 की धारा 6 की उपधारा (1) के अधीन दिया गया लाइसेन्स एक कैलेण्डर वर्ष की अवधि के लिए विद्यमान्य होगा और उस दिनांक को दिया गया लाइसेन्स आगामी 31 दिसम्बर को समाप्त होगा। प्रस्तर–9 की धारा–7 में निर्धारित शर्तों या धारा–42 के अधीन राज्य सरकार द्वारा जारी किये गये दिशा–निर्देशों में यदि कोई हों, अधीन रहते हुए धारा–6 की उपधारा–(1) के अधीन दिया गया लाइसेन्स इस नियमावली के नियम–10

क्र.सं.	समस्या के बिन्दु	उत्तर
	है जिन से स्पष्ट होता है कि शीतगृहों के लिए भारत सरकार व उत्तर प्रदेश सरकार का घोषित Ease of Doing Business अर्थात् उद्योगों के कार्यों का सरलीकरण तो यह कदापि नहीं है। जैसे–	के अधीन लाइसेन्सधारी के आवेदन–पत्र पर और नियम–11 के अधीन विहित फीस देने पर समय–समय पर एक कैलेण्डर वर्ष के लिए नवीनीकृत किया जायेगा। इस सम्बन्ध में शासनादेश संख्या–1061/58–2011–100(2)/2001 दिनांक 08 अप्रैल, 2011 द्वारा नियमावली, 1976 की धारा–9 को संशोधित करते हुए यह निर्णय लिया गया है कि एक कैलेण्डर वर्ष के लिए विहित फीस का 4 गुना अग्रिम भुगतान करने पर किसी लाइसेन्स का नवीनीकरण 05 वर्ष के लिए किया जा सकता है। यह निर्देश एक वर्ष की भाँति 05 वर्ष के लिए शीतगृह का नवीनीकरण भी जिलाधिकारी/लाइसेन्सिंग अधिकारी (शीतगृह) द्वारा किया जायेगा। यह निर्णय शीतगृह में हर वर्ष आने वाली समस्याओं को दृष्टिगत रखते हुए जनहित में लिया गया है। नवीनीकरण प्रक्रिया को 03–05 वर्ष के लिए किये जाने के लिए विशेष सचिव, उ.प्र. शासन की अध्यक्षता में सम्बन्धित अधिकारियों की समिति गठित किये जाने का प्रस्ताव निदेशालय के पत्र संख्या–आलू 88 जी दिनांक 18 सितम्बर, 2018 द्वारा शासन को प्रेषित की गयी थी, जिसके क्रम में विशेष सचिव, उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग, उ.प्र. शासन की अध्यक्षता में शासनादेश संख्या–2411/58–2018– 70/2017 दिनांक 25 सितम्बर, 2018 द्वारा उ.प्र. कोल्ड स्टोरेज विनियमन अधिनियम, 1976 के अन्तर्गत प्रदेश में संचालित निजी शीतगृहों के लाइसेन्स नवीनीकरण प्रक्रिया को सुलभ/सरल बनाये जाने के लिए समिति गठित की जा चुकी है।
2	**भवन सुदृढ़ता प्रमाण–पत्र** : प्रति वर्ष मांगना कहा तक ठीक है। प्रथम बार लाइसेन्स देते समय यह प्रमाण–पत्र लेना होगा कि क्या यह भवन 30 वर्ष या 50 वर्ष तक भण्डारण के लिए योग्य है या नहीं।	उक्त के सम्बन्ध में विशेष सचिव, उ.प्र. शासन की अध्यक्षता में सम्बन्धित अधिकारियों की गठित समिति की संस्तुति के अनुसार शासन के निर्णय के अधीन होगा।

क्र.सं.	समस्या के बिन्दु	उत्तर
3	**विद्युत बकाए का Certificate माँगा जाता है :** विद्युत बकाए का वसूल करने के लिए विद्युत विभाग ही सक्षम है, फिर भी उद्यान विभाग वसूली का कार्य क्यों करता है। इसके लिए हमें बार–बार विद्युत विभाग से माँग कर प्रमाण–पत्र लेना पड़ता है। यदि किसी पर विद्युत विभाग का बकाया है तो विद्युत विभाग उद्यान विभाग को सूचित कर सकता है।	उक्त के सम्बन्ध में विशेष सचिव, उ.प्र. शासन की अध्यक्षता में सम्बन्धित अधिकारियों की गठित समिति की संस्तुति के अनुसार शासन के निर्णय के अधीन होगा।
4	**भण्डारित आलू का बीमा :** बीमा कराने को दबाव बनाया जाता है जबकि शीतगृह उत्तर प्रदेश कोल्ड स्टोरेज विनियमन अधिनियम, 1976 में इसका कोई प्राविधान नहीं है।	उत्तर प्रदेश कोल्ड स्टोरेज विनियमन अधिनियम, 1976 की धारा–44 के अधीन जारी शासनादेश संख्या–3532/58–1–98–100(28)/96 दिनांक 16 अक्टूबर, 1998 के प्रस्तर–9 में स्पष्ट किया गया है कि अधिनियम की धारा–23 में प्रत्येक लाइसेन्सधारी से अपने कोल्ड स्टोरेज में स्टोर किये गये कृषि उत्पाद का आग, टूट–फूट (चाहे यान्त्रिक या अन्य प्रकार का हो) या ऐसे ही अन्य कारण से होने वाली हानि या क्षति के लिए बीमा का प्राविधान है। इन्हीं प्राविधानों के अनुरूप बीमा समय से कराया जाना सुनिश्चित करेंगे।
5	**उत्तर प्रदेश प्रदूषण का सहमति पत्र :** क्यों माँगा जाता है जबकि शीतगृह प्रदूषण के हिसाब से हरित श्रेणी में आते हैं और जी.एस.टी. लग जाने के बाद से उनसे वाटर टैक्स या वायु टैक्स भी हटा लिया गया है। कृपया ध्यान दें कि शीतगृह आमोनिया गैस का प्रयोग करते हैं, वह किसी भी प्रकार का प्रदूषण नहीं करती है।	उक्त के सम्बन्ध में विशेष सचिव, उ.प्र. शासन की अध्यक्षता में सम्बन्धित अधिकारियों की गठित समिति की संस्तुति के अनुसार शासन के निर्णय के अधीन होगा।
6	**कार्यरत कर्मचारियों की सूची एवं उनका बीमा :** शीतगृहों में कार्यरत कर्मचारियों की सूची का कोई अर्थ यू नहीं रह जाता कि शीतगृहों में लोडिंग/अनलोडिंग का काम पल्लेदार करते है, जो मुख्यतः ठेके पर आते है और कब बदल जाते उसका शीतगृह स्वामियों को पता तक नहीं चलता अतः उनकी सूची व बीमा किस आधार पर कराया	कृपया प्रश्नगत प्रकरण के सम्बन्ध में श्रम विभाग से दिशा–निर्देश प्राप्त किया जाना उचित होगा।

→

क्र.सं.	समस्या के बिन्दु	उत्तर
	जाए व किस चीज का बीमा कराया जाए, कुछ भी स्पष्ट नहीं है।	
7	**हमसे माँगा जाता है कि आलू खराब होने की दशा में** : कृषकों को दिए गए मुआवजे का विवरण दें। यह सूचना तो विस्तार से जिला उद्यान अधिकारी को स्वयं ही पहुँच जाती है। अगर किसी भी कृषक को मुआवजा नहीं दिया जाता तो वह तुरन्त ही शिकायत लेकर डी.एच.ओ. जिला उद्यान अधिकारी को रिपोर्ट करता हैं, अतः शीतगृहों से इस सूचना को मांगना कोई अर्थ नहीं रखता है।	उत्तर प्रदेश कोल्ड स्टोरेज विनियमन अधिनियम, 1976 के धारा–24 के अनुसार व्यवस्था दी गयी है कि प्रत्येक लाइसेन्सधारी किरायादाता को अपने कोल्ड स्टोरेज में स्टोर किये गये माल के सम्बन्ध में ऐसे लाइसेन्सधारी द्वारा की गयी उपेक्षा, औचार या व्यतिक्रम के कारण हुई प्रत्येक हानि, नाश, क्षति, खराबी या माल के अपरिदान के लिए प्रतिकर का देनदार होगा। प्रतिकर के निर्धारण हेतु शीतगृह में भण्डारित कृषि उत्पाद किसी व्यक्ति का कितनी मात्रा में है, इसकी सूचना शीतगृह शीतगृह स्वामी द्वारा सम्बन्धित जिला उद्यान अधिकारी की उपलब्ध कराया जाना अपरिहार्य है।
8	भण्डारण प्रभार की दर का प्रमाण–पत्र का क्या अर्थ यह हमें समझ नहीं आ रहा है। जब शीतगृह उद्योग भण्डारण प्रभार निर्धारित करने में पूर्णतया स्वतंत्र है तो इस तरह के प्रमाण–पत्र का क्या औचित्य है। अनावश्यक रूप से अधिक प्रभार न तो कोई शीतगृह ले सकता है और ना ही कोई देने को तैयार होगा। इस तरह के प्रमाण पत्र माँगने से शीतगृहों की परेशानी भी बढ़ती जाती है।	उ.प्र. कोल्ड स्टोरेज विनियमन (संशोधन) अधिनियम, 1997 संख्या–472/सत्रह वि–1–1(क) 2–1997 दिनांक 02 मई, 1997 द्वारा धारा–29 का प्रतिस्थापन करते हुए निम्नलिखित धारा रख दी गयी है। (1) प्रत्येक लाइसेन्सधारी समय–समय पर कोल्ड स्टोरेज में कृषि उत्पाद को स्टोर करने के लिए या उसके सम्बन्ध में की गयी किसी अन्य सेवा के लिए अधिकतम प्रभार निश्चित करेगा और विभिन्न कृषि उत्पाद के लिए विभिन्न प्रभार निश्चित किये जा सकते हैं। (2) प्रत्येक लाइसेन्सधारी उपधारा (1) के अधीन निश्चित प्रभार कोल्ड स्टोरेज के मुख्य प्रवेश द्वारा पर या उसके निकट प्रदर्शित करेगा और उसकी एक प्रति लाइसेन्स अधिकारी के कार्यालय में भी होगा। (3) यदि राज्य सरकार की राय हो कि उपधारा (1) के अधीन किसी लाइसेन्सधारी द्वारा

→

क्र.सं.	समस्या के बिन्दु	उत्तर
		निश्चित प्रभार अयुक्तियुक्त अधिक है तो उपधारा (1) के उपबन्धों के होते हुए भी, राज्य सरकार, अधिसूचित आदेश द्वारा ऐसे लाइसेन्सधारी के सम्बन्ध में उपधारा (1) के प्रयोजनों के लिए अधिकतम प्रभार निश्चित कर सकती है और राज्य सरकार द्वारा इस प्रकार निश्चित प्रभार उस वित्तीय वर्ष जिसमें वे निश्चित किये जाय, के शेष भाग के लिए प्रभावी होंगे।' यदि जिलाधिकारी द्वारा शीतगृह स्वामियों की सहमति से भण्डार प्रभार निर्धारित कराया जाता है, तो उसका अनुपालन भी जिलाधिकारी एवं लाइसेन्सिंग अधिकारी (शीतगृह) द्वारा कराया जायेगा। उपरोक्त (2) के अनुसार कोल्ड स्टोरेज प्रभार की एक प्रति लाइसेन्सिंग अधिकारी के कार्यालय में उपलब्ध कराया जाना अपरिहार्य है। भण्डारण प्रभार की प्रति प्राप्त न होने पर सम्बन्धित जनपदीय उद्यान अधिकारी द्वारा प्रमाण–पत्र की माँग की जाती है, जो नियम संगत है।
9	आप से यह भी अनुरोध है कि जितने भी बिन्दुओं पर उद्यान विभाग माँग करे वह सारे उत्तर प्रदेश के लिए सामान्य रूप से लागू हो न कि कोई जिला अधिकारी 10 बिन्दु माँगता है कोई 15 कोई 18 इत्यादि। इस सम्बन्ध में वर्ष 2002 में एक जी.ओ. जारी भी हुआ था जिसमें नवीनीकरण के लिए निश्चित आदेश दिया गया है। एक दो वर्ष तो इसका पालन हुआ परन्तु अब फिर जिस जिला उद्यान अधिकारी के जो मन में आता है वह सूचना और प्रमाण पत्र माँग लेता है और इस प्रकार नवीनीकरण प्रक्रिया को रोक दिया जाता है। हम आपके संज्ञान में जिला उद्यान अधिकारी द्वारा जारी किये गये एक आदेश की प्रतिलिपि यहाँ प्रस्तुत कर रहे है जिसे पढ़कर आप स्वयं ही	नवीनीकरण प्रक्रिया को 03–05 वर्ष के लिए किये जाने के लिए विशेष सचिव, उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग, उ.प्र. शासन की अध्यक्षता में शासनादेश संख्या–2411/58–2018–70/2017 दिनांक 25 सितम्बर, 2018 द्वारा उ.प्र. कोल्ड स्टोरेज विनियमन अधिनियम, 1976 के अन्तर्गत प्रदेश में संचालित निजी शीतगृहों के लाइसेन्स नवीनीकरण प्रक्रिया को सुलभ/सरल बनाये जाने के लिए समिति गठित की गयी है। उक्त के सम्बन्ध में विशेष सचिव, उ.प्र. शासन की अध्यक्षता में सम्बन्धित अधिकारियों की गठित समिति की संस्तुति के अनुसार शासन के निर्णय के अनुसर नवीनीकरण के लिए निर्धारित बिन्दुओं पर शीतगृह स्वामियों से अभिलेख/प्रपत्र प्रस्तुत किये जाने की अपेक्षा की जायेगी। इसके निर्देश →

क्र.सं.	समस्या के बिन्दु	उत्तर
	समझ जायेंगे कि यह उद्योग के सरलीकरण का रास्ता है या उनके रास्ते में मन चाहे रोड़े अटकाने का।	शासन स्तर से लिये निर्णय के क्रम में अलग से जारी किये जायेंगे।

अतः कृपया उपरोक्त से अवगत होते हुए शीतगृह नवीनीकरण प्रक्रिया से सम्बन्धित प्राप्त किये जाने वाले अभिलेखों/प्रपत्रों में जनहित में किसी प्रकार की छूट प्रदान किया जाना उचित प्रतीत नहीं होता है। विशेष सचिव, उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग, उ.प्र. शासन की अध्यक्षता में शासनादेश संख्या–2411/58–2018–70/2017 दिनांक 25 सितम्बर, 2018 द्वारा उ.प्र. कोल्ड स्टोरेज विनियमन अधिनियम, 1976 के अन्तर्गत प्रदेश में संचालित निजी शीतगृहों के लाइसेन्स नवीनीकरण प्रक्रिया को सुलभ/सरल बनाये जाने के लिए समिति गठित की जा चुकी है।

भवदीय

(राघवेन्द्र प्रताप सिंह)

निदेशक

कुछ तथ्य आमोनिया गैस के बारे में :

अक्सर विभिन्न विभाग शीतगृहस्वामियों से आमोनिया गैस के बारे में कई प्रकार के सवाल पूछा करते है। एक आम धारण है कि आमोनिया गैस प्रदूषण फैलाती और जलनशील है। यह दोनों ही बातें गलत हैं। हमें Frick India द्वारा जारी एक Pamphlet में आमोनिया के बारे में निम्नलिखित जानकारी मिली है जो अग्रेजी में है। उसे हम ऐसा का ऐसे प्रस्तुत कर रहे हैं।

Natural Refrigerants :

Ammonia

- Ammonia is a colourless gas that liquefies under pressure and has a pungent odour.
- Ammonia is considered a natural refrigerant because it occurs in nature's material cycles.
- Ammonia is also an ideal refrigerant from a climate protection point of view.
- It contributes neither to ozone depletion nor to global warming.
- Ammonia has no ozone depletion potential (ODP=0) and no direct greenhouse effect (GWP=0).
- Ammonia is combustible only to a limited degree; its ignition energy is 50 times higher than that of natural gas.
- Thermodynamic properties : its indirect global warming potential is also very low.
- Plants that use ammonia as opposed to other refrigerants have a better TEWI (Total Equivalent Warming Impact).
- The TEWI is the sum of the direct global warming impact - caused by the refrigerant lost throught leakage and recovery.

→

न्यूनतम मजदूरी अधिनियम 1948 के अन्तर्गत 59 अनुसूचित नियोजनों में देय परिवर्तनीय मँहगाई भत्ता :

न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948 के अर्न्तगत राजाज्ञा स0 194/36–3–2014–07 (न्यू0वे0)/04, दिनाक 28.01.2014 द्वारा 59 अनुसूचित नियोजनों में नियोजित कर्मकारों हेतु मजदूरी की मूल दरों एवम् देय परिवर्तनीय महँगाई भत्ते का निर्धारण किया गया है। मजदूरी की दरें मासिक आधार पर निर्धारित की गयी है, उनकी दैनिक दर, मूल मजदूरी और परिवर्तनीय महँगाई भत्ते के 1/26 से कम तथा प्रति घण्टे दैनिक दर 1/6 से कम न होगी।

उक्त के अनुक्रम में निम्नांकित 59 नियोजनों में कर्मचारियों के लिए अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक आधार वर्ष (2001=100) माह जुलाई, 2012 से दिसम्बर, 2012 के औसत 216 अंकों के ऊपर जनवरी, 2018 से जून, 2018 के औसत अंक 288.33 (दो सौ अठासी दशमलव तैंतीस) पर दिनांक 01.10.2018 से दिनांक 31.03.2019 तक परिवर्तनीय महँगाई भत्ता निम्नलिखित दृष्टान्त की भाँति गणना करके देय होगा :–

दृष्टांत : रूपये 5750 प्रतिमाह मजदूरी पाने वाले अकुशल श्रेणी के कर्मचारियों को औसत उपभोक्ता मूल्य सूचकांक 288.33 पर दिनांक 1.10.2018 से दिनांक 31.03.2019 तक की अवधि हेतु देय परिवर्तनीय महँगाई भत्ता निम्न प्रकार देय होगा :–

$$\frac{(288.33-216)}{216} \times 5750 = 1925.45 \text{ प्रतिमाह}$$

विभिन्न श्रेणी के कर्मचारियो को देय प्रति माह मूल मजदूरी परिवर्तनीय मंहगाई भत्ता, मासिक एवम् दैनिक मजदूरी की दरे निम्नवत् है:–

क्रम	श्रेणी	प्रतिमाह मूल मजदूरी (रु. में)	प्रतिमाह परिवर्तनीय मंहगाई भत्ता (रु. में)		दिनांक 01.10.2018 से दिनांक 31.03.2019 तक	
			दिनांक 01.04.2018 से दिनांक 30.09.2018 तक	दिनांक 01.10.2018 से दिनांक 31.03.2019 तक	कुल मजदूरी (रु. में)	दैनिक मजदूरी (रु. में)
1	2	3	4	5	6	7
1	अकुशल	5750.00	1863.42	1925.45	7675.45	295.21
2	अर्द्ध कुशल	6325.00	2049.77	2118.00	8443.00	324.73
3	कुशल	7085.00	2296.06	2372.49	9457.49	363.75

नियोजनों के नाम :–

1. रबर की विनिर्माणशाला और रबद उत्पाद (टायर और ट्यूब सहित) के उद्योग।
43. कोल्ड स्टोरेज।

(राजेश मिश्रा)
उप श्रम आयुक्त उत्तर प्रदेश कृते श्रम आयुक्त उत्तर प्रदेश

सेवा में,

Postal Registration No. : SSP/LW/NP-65/2017-2019

.....

.....

प्रकाशक, मुद्रक, सम्पादक एवं स्वामी महेन्द्र स्वरूप, कोल्ड स्टोरेज एसोसिएशन, उत्तर प्रदेश,
स्वरूप कोल्ड स्टोरेज, वाटर वर्क्स रोड, ऐशबाग, लखनऊ से प्रकाशित एवं
रोहिताश्व प्रिण्टर्स, ऐशबाग रोड, लखनऊ द्वारा मुद्रित